रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27052023-246120
CG-DL-W-27052023-246120

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 21—मई 27, 2023, शनिवार/ वैशाख 31—ज्येष्ठ 6, 1945
No. 20] NEW DELHI, MAY 21—MAY 27, 2023, SATURDAY/VAISAKHA 31—JYAISHTHA 6, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मई, 2023

सा.का.नि. 56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कनिष्ठ आशुलिपिक, समूह "ग", पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापन) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के मुख्यालय में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय मुख्यालय आशुलिपिक श्रेणी 'घ' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरवकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी 'घ'।	9*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर – 04 (25,500 – 81,100 रु.)।	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पण-आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या उसके समतुल्य अर्हता; (ii) कौशल **परीक्षण:** कौशल परीक्षण (स्किल टेस्ट) के मानदंड उत्तीर्ण

						करना अनिवार्य है श्रुतलेख: - 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी और हिंदी में। (iii) प्रतिलेखन: - कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)। **टिप्पण:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष (परिवीक्षा पूरी करने के लिए आशुलिपिक हेतु अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा करना एक पूर्वापेक्षा है)	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकती है जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ता रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना:	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष।	लागू नहीं होता।

(2) अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य। (3) सहायक निदेशक (प्रशासन) - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/4/2022-प्रशा.I]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 19th May, 2023

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Junior Stenographer, Group 'C' posts, Department of Tourism (Headquarters Establishment) Recruitment Rules, 1990 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade 'D' in the Headquarter of the Ministry of Tourism, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) these rules may be called the Ministry of Tourism Headquarter Stenographer Grade 'D' (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, and level in pay matrix.**—The number of posts, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Governmental is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade 'D'.	9* (2023). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 (Rs. 25,500-81,100).
Whether selection post or non-selection post	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	
(5)	(6)	(7)	

Not applicable.	Between 18 and 27 years. (relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class or equivalent qualification from a recognized Board or University; (ii) Skill Test. must pass skill test norms Dictation: - 10 mts @ 80 w.p.m. in English and Hindi. (iii) Transcription: - 50 mts (English) 65 mts (Hindi) on Computer. Note: - Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, in case of candidates who are otherwise well qualified.

Whether age limit and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Two years (Successful completion of mandatory induction Training for Stenographer a pre-requisite for completion of probation).	By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note :** vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a period of one year or more may be filled on deputation from the officials of the central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruitment under column(7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ Absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director or Deputy Secretary (Administration) -Chairperson. (2) Under Secretary (Administration) -Member.	Not applicable

	(3) Assistant Director (Administration)-Member.	

[F. No. A-12018/4/2022-Admn.I]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA